भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 39*

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए धनराशि

***39. श्री कालिपद सरेन खेरवाल:**
डॉ. शर्मिला सरकार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के अंतर्गत 'मजदूरी' और 'सामग्री एवं प्रशासन ' शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को देय धनराशि का घटक एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विगत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण को पुन: शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां , तो बंगाल में मनरेगा के 59 लाख कामगारों को देय बकाया राशि का भुगतान किए जाने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): इस योजना के अंतर्गत , केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के अनुसार उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए प्रतिदिन मंजूरी जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, पिछले वर्षों की स्वीकृत लंबित देनदारियां, यदि कोई हो , तो उनकी उचित रूप से प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार , वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सभी देय और स्वीकृत लंबित मजदूरी देनदारियों का निपटान पहले ही किया जा चुका है (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर)।

सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारत सरकार को निधियां जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार द्वारा 'सहमत' श्रम बजट, कार्यों की मांग , प्रारंभिक शेष, निधियों उपयोग की गति , लंबित देनदारियों, समग्र कार्य निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दो खेपों में निधियां जारी की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किश्तें होती हैं।

इस योजना के तहत, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 26.11.2025 तक), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 68,393.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं , जिसमें मजदूरी घटक के लिए 57,853.62 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासन के लिए 10,540.05 करोड़ रुपये शामिल हैं। चूंकि, इस मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के अनुसार उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मजदूरी भुगतान के लिए स्वीकृति दैनिक आधार पर पीएफएमएस (लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से जारी की जाती है , अत: निधियां जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अद्यतन होती रहती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत दिनांक 26.11.2025 तक मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के संबंध में लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता। पिछले चार वित्तीय वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (पश्चिम बंगाल सहित) ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश के अनुसार , यह विभाग वर्तमान में आवश्यक कार्यपद्धतियों और प्रक्रियाओं को पुनः कार्यान्वित और परिष्कृत कर रहा है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा सके।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दिनांक 26.11.2025 तक मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के संबंध में लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (रुपये करोड़ में)				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मजदूरी**	**सामग्री**	**प्रशासनिक**
1	आंध्र प्रदेश	381.02	530.45	27.51
2	अरुणाचल प्रदेश	4.70	142.01	0.86
3	असम	0.23	398.38	27.73
4	बिहार	7.04	385.88	14.67
5	छत्तीसगढ़	3.78	101.36	9.59
6	गोवा	0.00	0.43	0.02
7	गुजरात	46.98	18.96	8.39
8	हरियाणा	0.38	41.56	0.28
9	हिमाचल प्रदेश	15.18	65.66	0.40
10	जम्मू और कश्मीर	5.48	188.50	2.31
11	झारखंड	5.83	299.27	4.69
12	कर्नाटक	8.94	576.58	36.97
13	केरल	248.42	177.80	49.72
14	मध्य प्रदेश	64.14	655.03	44.06
15	महाराष्ट्र	14.32	668.80	23.03
16	मणिपुर	4.59	152.40	4.12
17	मेघालय	4.13	51.75	1.10
18	मिजोरम	91.43	0.25	0.75
19	नागालैंड	0.79	79.64	0.00
20	ओडिशा	11.76	218.06	2.11
21	पंजाब	0.12	110.51	1.57
22	राजस्थान	627.33	822.31	8.75
23	सिक्किम	0.10	2.40	0.02
24	तमिलनाडु	111.54	626.70	35.67
25	तेलंगाना	0.98	495.12	7.09
26	त्रिपुरा	2.93	144.29	27.04
27	उत्तर प्रदेश	5.98	1007.58	90.09
28	उत्तराखंड	0.41	44.99	2.94

29	अंडमान और निकोबार	0.00	0.03	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
31	पुदुचेरी	16.99	0.00	0.25
32	लद्दाख	0.46	1.78	0.10
33	पश्चिम बंगाल	**	**	**
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.29	0.00	0.00
	कुल	1687.27	8008.48	431.83

टिप्पणी: पीएफएमएस/एमआईएस के अनुसार आंकड़े और सामग्री घटक के संबंध में पिछले वर्ष की लंबित देनदारी।

**पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के मजदूरी बजट में संशोधन पश्चात वृद्धि करने का प्रस्ताव, इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण , ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इसके पश्चात, राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना रोक दिया गया।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लंबित देनदारियाां (दिनांक 08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी घटक के अंतर्गत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के अंतर्गत ₹1607.68 करोड़ और प्रशासनिक घटक के अंतर्गत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता का केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2024-25 तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (पश्चिम बंगाल सहित) ब्यौरा (रुपये में करोड़ में)					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	7707.21	7353.67	8008.81	7195.81
2	अरुणाचल प्रदेश	560.70	427.35	578.32	453.74
3	असम	1929.70	2221.38	2056.49	2223.32
4	बिहार	6715.83	6200.03	6402.23	5407.37
5	छत्तीसगढ़	3354.85	2895.12	3420.39	3894.34
6	गोवा	3.70	0.88	5.05	0.04
7	गुजरात	1540.54	1802.26	1694.60	1615.24
8	हरियाणा	590.19	477.87	373.99	723.73
9	हिमाचल प्रदेश	1203.28	1000.96	1164.85	976.34
10	जम्मू और कश्मीर	1151.20	921.60	1051.00	950.14
11	झारखंड	2705.64	2922.27	2719.03	3067.88
12	कर्नाटक	5709.90	5431.67	6218.59	6034.89
13	केरल	3136.44	3532.57	3830.97	3554.85
14	मध्य प्रदेश	6252.03	5891.65	5707.47	8479.09
15	महाराष्ट्र	4420.32	3041.48	2545.89	2056.46
16	मणिपुर	581.99	0.95	1086.63	563.11
17	मेघालय	1155.09	913.86	1118.77	1123.32
18	मिजोरम	611.65	507.96	540.40	550.51
19	नागालैंड	287.85	641.50	839.76	570.56
20	ओडिशा	3763.80	4906.78	4707.52	5687.28
21	पंजाब	1331.61	1169.84	1182.14	1259.20
22	राजस्थान	7581.87	8683.98	9648.65	9867.75
23	सिक्किम	97.57	112.19	92.71	112.79
24	तमिलनाडु	7585.49	12616.53	9745.72	9648.36
25	तेलंगाना	3825.31	3520.87	2992.21	4116.10
26	त्रिपुरा	1041.70	1043.59	925.34	990.14
27	उत्तर प्रदेश	9721.48	9844.25	10650.64	8525.15
28	उत्तराखंड	626.43	553.81	792.66	642.60
29	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00	1.33	7507.80

30	अंडमान और निकोबार	4.44	0.00	9.60	7.68
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9.02	2.21	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.32	0.00	24.95	0.30
33	पुदुचेरी	40.56	58.77	69.00	13.07
34	लद्दाख	85.98	62.64	1.62	59.04
कुल		**85333.70**	**88760.50**	**90207.30**	**97878.01**

*केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09 मार्च, 2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना रोक दिया गया था।

****